प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं. 93/2024)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भाद्रविप्रा ने 'संरक्षा और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए भारतीय रेलवे को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन' विषय पर अपनी अनुशंसाएं जारी कीं।

नई दिल्ली, 20 दिसंबर 2024 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **'संरक्षा और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए भारतीय रेलवे को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन' विषय पर अपनी अनुशंसाएं** जारी की हैं।

2. दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 26.07.2023 के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया कि भारतीय रेलवे ने अपनी संरक्षा और सुरक्षा प्रणालियों को बढ़ाने के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में अतिरिक्त 5 मेगाहर्ट्ज युग्मित स्पेक्ट्रम को बिना किसी शुल्क के आवंटित करने का अनुरोध किया है। दिनांक 26.07.2023 के उक्त पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा को निम्नलिखित पहलुओं को जांच कर अपनी सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया:

(i) भारतीय रेलवे को 5 मेगाहर्ट्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आवंटन दिनांक 25.10.2019 की भारतीय रेलवे की पूर्व सिफारिशों को देखते हुए और दिनांक 28.12.2022 की एनसीआरटीसी के संबंध में तथा दिनांक 11.04.2022 की स्पेक्ट्रम की नीलामी के संदर्भ में पहले की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

(ii) सिफारिशें प्रदान करते समय भादूविप्रा स्पेक्ट्रम का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे/ एनसीआरटीसी/ आरआरटीएस/ मेट्रो और इसी प्रकार के अन्य नेटवर्कों के बीच स्पेक्ट्रम की साझेदारी की संभावना पर भी विचार कर सकता है।

(iii) भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी को सौंपे गए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज (युग्मित) स्पेक्ट्रम के लिए भादूविप्रा द्वारा अनुशंसित विभिन्न स्पेक्ट्रम मूल्यांकन पद्धति पर विचार करते हुए भादूविप्रा जांच कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो एक ही स्पेक्ट्रम बैंड में समान उपयोग पर विचार करते हुए एक समान स्पेक्ट्रम मूल्यांकन और शुल्क पद्धति की अनुशंसा कर सकता है।

(iv) इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य अनुशंसाएं।

3. इस संबंध में भादूविप्रा ने हितधारकों से टिप्पणी और प्रति-टिप्पणियां मांगने के लिए 07.02.2024 को **'संरक्षा और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए भारतीय रेलवे को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन' पर एक परामर्श पत्र** जारी किया था। टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 06.03.2024 और 20.03.2024 थी। इसके उत्तर में आठ हितधारकों ने अपनी टिप्पणियां और तीन हितधारकों ने अपनी प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। परामर्श पत्र पर 03.05.2024 को वर्चुअल मोड के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा का आयोजन किया गया।

4. परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने **'संरक्षा और सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए भारतीय रेलवे को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन' पर सिफारिशों** को अंतिम रूप दिया है। सिफारिशों के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

(क) भारतीय रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में पहले से ही आवंटित किए गए 5 मेगाहर्ट्ज (युग्मित) आवृत्ति स्पेक्ट्रम के अतिरिक्त, 700 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड में अतिरिक्त 5 मेगाहर्ट्ज (युग्मित) आवृत्ति स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाए जिसका कैप्टिव उपयोग संरक्षा और सुरक्षा के लिए रेलपथों के समानांतर किया जाना चाहिए।

(ख) दूरसंचार विभाग को प्राधिकरण की पूर्व की इस सिफारिश पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए कि रेडियो अभिगम नेटवर्क (रैन) शेयरिंग की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए भारतीय रेल और एनसीआरटीसी को शामिल करते हुए रेल मंत्रालय द्वारा दूरसंचार विभाग के पर्यवेक्षण में मल्टी-ऑपरेटर कोर नेटवर्क (एमओसीएन) के माध्यम से रैन शेयरिंग का फील्ड परीक्षण किया जाए जैसा कि भादूविप्रा द्वारा दिनांक 28.12.2022 की 'आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ट्रेन नियंत्रण प्रणाली हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की स्पेक्ट्रम आवश्यकताओं' पर अनुशंसाओं के माध्यम से अनुशंसा की गई थी। फील्ड परीक्षण के परिणाम के आधार पर भारतीय रेलवे/ एनसीआरटीसी/ अन्य आरआरटीएस/ मेट्रो रेल नेटवर्क के बीच अतिव्यापी (ओवर्लैपिंग) क्षेत्रों में एमओसीएन के माध्यम से रैन शेयरिंग के कार्यान्वयन पर निर्णय लिया जा सकता है।

(ग) भारतीय रेलवे को आवृत्ति स्पेक्ट्रम आवंटन करते समय आवृत्ति स्पेक्ट्रम आवंटन की शर्तों में एक शर्त शामिल होनी चाहिए कि यदि फील्ड परीक्षण के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि रैन शेयरिंग व्यवहार्य है तो भारतीय रेलवे एनसीआरटीसी/ अन्य आरआरटीएस/ मेट्रो रेल नेटवर्क के साथ अतिव्यापी क्षेत्रों में एमओसीएन के माध्यम से

रैन शेयरिंग को कार्यान्वित करेगी और इसे दूरसंचार विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के माध्यम से शासित किया जाएगा।

(घ) भारतीय रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 10 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति स्पेक्ट्रम का एक निरंतर ब्लॉक और एनसीआरटीसी/ अन्य आरआरटीएस/ मेट्रो रेल नेटवर्क को समीपवर्ती 5 मेगाहर्ट्ज ब्लॉक आवंटित करने के लिए स्पेक्ट्रम समन्वयन किया जाना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चल रहे नेटवर्क में न्यूनतम बाधा हो।

(ङ) भारतीय रेलवे/ एनसीआरटीसी/ अन्य आरआरटीएस/ मेट्रो रेल नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम प्रभार दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित कैप्टिव उपयोग के लिए रॉयल्टी प्रभार और लाइसेंस शुल्क के फार्मूले के आधार पर लगाया जाना चाहिए।

5 अनुशंसाओं को भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर प्रस्तुत किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष संख्या +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा